



GENERAL STUDIES (Test-10)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)-M-GSM (M-I)-2210

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Sateesh Kumar

Mobile Number: _____

Medium (English/Hindi): _____

Reg. Number: _____

Center & Date: _____

UPSC Roll No. (If allotted): _____

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)

Reviewer (Signature)

Feedback

- | | |
|---|--|
| 1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता) | 2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता) |
| 3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता) | 4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह) |
| 5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता) | 6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता) |

1. विधियाँ परिवर्तन की शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी में निर्मित विधियाँ मंशा अनुरूप कार्य नहीं करतीं और नेक मंशा से बनी विधियाँ अप्रभावी रही हैं। इस संबंध में संसद की प्रभावहीनता के कारण विधि निर्माण में व्याप्त कमियों की चर्चा कीजिये एवं सुदृढ़ विधि निर्माण प्रक्रिया के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10
- Laws can be powerful instruments of change. But badly made ones do not work as intended and well-intentioned ones are ineffective. In this regard, discuss lacunae gripping the law-making due to ineffectiveness of Parliament and suggest measures for robust law-making process. (150 words) 10

कु

विधि, जिसे संप्रभु सत्ता द्वारा निर्मित होता है, जो लोगों के व्यवहार/कारण को निर्धारित करती है

परिवर्तन की कारक :-

- अपराधों में निवारण।
- सां-आ. परिवर्तन लाने में सहायक।
- नैतिक व्यवहार को बढ़ाती है।

जल्दबाजी में निर्मित विधियों के दुष्प्रभाव :-

- पूर्णतः चर्चा के बिना सभी पक्षों पर ध्यान नहीं।
- सत्तावादी पक्ष की विचारधारा के अग्रस्थ

जल्दबाजी में निर्मित विधियों में एउ

महत्वपूर्ण कारक अप्रभावी संसद के रूप में देखने में सामने आता है। इससे निम्न कमियाँ उच्च-न होती हैं -

- विधियों पर पर्याप्त चर्चा न होने के

कारण, उनके दोष-गुण पर हम गार्गी

सुधार की संभावना नहीं।

(ii) यह विधि निर्माण में समावेशित।
को भी हम करना है।

(iii) विधि के सभी पक्षों पर ध्यान नहीं।
दोनों के कारण व्यापकता की कमी।

(iv) संसद के कार्यपालिका निर्माण को
कमजोर करती है।

उपाय: → (i) सहकारिता आयोग की रिपोर्ट
में अनुशंसा की गई है कि संसद के सदस्यों का
कार्यवधि सुनिश्चित कर सकते हैं। (15-17 दिनांक
15-17 दिनांक)

(ii) संसदीय सरकार को अधिक बजट देना।
संसदीय सभित्तियों को मजबूत। (17वीं LS → 0.4%
16%
15वीं LS → 73%)

अतः विधायिका, को अधिकतर तरीकों
से प्राप्त करते विधि निर्माण को संविधान का
उल्लंघन माना जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कॉलेजियम प्रणाली का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10
The process for the appointment of judges lies at the heart of an independent judiciary. In this regard critically analyze the collegium system. (150 words) 10

A

भारतीय लोकतंत्र, इस दृष्टि से अक्षुण्ण
है कि यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति,
न्यायाधीशों की ही अनुशंसा पर राष्ट्रपति
द्वारा की जाती है।

स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए महत्व :-

(i) निष्पक्ष चुनाव → राजनीतिक पक्षपात को
हम करती है।

(ii) इससे न्यायाधीशों पर निर्णय लेते समय
किसी भी पक्ष का दबाव नहीं होता है।

(iii) यह शक्ति के प्रयोग के माध्यम से
संघर्ष को मजबूत करता है।

(iv) यह न्यायपालिका को राष्ट्रीय हितों पर
निष्पक्ष निर्णय देने में सहायक है।

स्वतंत्र चुनाव के महत्व को देखते हुए,

3rd Judges Case के बाद न्यायधीशों के चुनाव के लिए कॉलेजियम प्रणाली को उभनाया गया।

+ve →

- (1) यह कार्यपालिका के दृष्टिकोण से मुक्त है।
- (2) गुणवत्तापूर्ण न्यायधीशों की नियुक्ति।
- (3) न्यायपालिका की आवश्यकतानुसार न्यायधीशों का पया।

-ve →

- (i) यह प्रक्रिया के स्तर पर पारदर्शिता एवं जननिवेदित के मुद्दे पर असफल रही है।
- (ii) सरकार द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेता।
- (iii) मन्त्री जी MC में 37% पद खाली।

मत: कॉलेजियम व्यवस्था भी, पूरी तरह सफल नहीं रही है। मत: आवश्यक है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों को NJAC पर संयुक्त चर्चा कर, एक समान प्रक्रिया को निर्मित करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. एक सुदृढ़ और स्वतंत्र रूप से संचालित नागरिक समाज की उपस्थिति सफल और स्थिर लोकतंत्र की पहचान है। इस संबंध में नए भारत के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
(150 शब्द) 10
The presence of a strong and freely operating civil society is the hallmark of successful and stable democracies. In this regard critically examine the role of Civil society in making of new India.
(150 words) 10

A

नागरिक समाज, ये स्वैच्छिक आधार पर सामूहिक हितों के प्रति है लिए लोगों द्वारा स्थापित समूह हैं यथा: → SEWA, Naz foundation आदि।

सफल व स्थिर लोकतंत्र :-

- (i) सहभागिता → ये लोगों की सरकारी निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यथा → Observer Research found.
- (ii) न्यायिक सुधार → ADR, PUCL आदि।
- (iii) महिला सशक्तिकरण → SEWA आदि।
- (iv) अधिकारों का संरक्षण → ये संगठन वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण में सहायक रहे हैं। यथा - Naz foundation एवं "धसफर" जैसे लोग

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Transgender अधिकारों के लिए प्रयासरत

के

इसके अलावा, कई नागरिक संगठन
बच्चों के अधिकारों, RTI & Social Audit
के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने
का प्रयास कर रहे हैं। जिससे न केवल
लोगों को अधिकारों की जाह्नप करने में
सुलभता हुई है साथ ही वे जागरूक हुए
हैं।

परन्तु कुछ मामलों में NGO के व्यवहार
में मुद्दे उत्पन्न किए हैं ->

1. विकास में बाधा -> 'Green Peace' के

द्वारा कुंजनकुलम परियोजना को प्रतिबंधित कर
गिरीध प्रदर्शित।

2. विदेशी कंपनियों का हितसंबंध -> Medinda &

Crates foundation -> अमेरिकी कंपनियों का

3. फंड का दुरुपयोग।

अतः कायदाकार, ई डि NGO को
पारदर्शिता के साथ काम करने की।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

4. भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी कुशलता से G20 में मौजूद अंतर को समाप्त करने के लिये रास्ते एवं साधन खोज सकता है और इसे साझा हित के मंच में रूपांतरित कर सकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The success of India's G20 Presidency will depend on how deftly India can find paths and instruments to bridge the divides plaguing the G20 and turn it into a platform of shared interest. Comment. (150 words) 10

△

भारत, 2023 में होने वाली
G20 की बैठक की मेजबानी करेगा।
साथ ही यह अध्यक्ष के रूप में
भी अपनी भूमिका निभायेगा। अतः
इसकी अध्यक्षता का उपयोग विभिन्न
परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने की
आवश्यकता है ->

(i) WTO में subsidy का मुद्दा।
यथा -> कृषि एवं मत्स्य।

(ii) पर्यावरण पर विकसित देशों की
अधिक जिम्मेदारी।

(iii) 'Global Commons' के संदर्भ में
समन्वित एवं जिम्मेदारी पूर्ण भागीदारी
के लिए प्रयास।

(iv) आतंकवाद एवं प्रणालियों के मुद्दे
पर शकल। 2

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

उपर्युक्त सभी मुद्दों के साथ-साथ

वर्तमान में कर अव्यवस्था, विनियमन, स्थिरीकरण जैसे कुछ मुद्दों पर वार्ता को लाभार्थक बनाने की आवश्यकता है। अतः भारत को निम्न प्रकार से अपनी हितों को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये - (1) समान हितों वाले विकासशील देशों के साथ मिलकर, अन्य देशों पर दबाव डालना।

(2) भारत को रणनीति का निर्धारण करते समय मुद्दों का निर्धारण करते समय अपनी विश्व-शक्ति के क्षेत्र का ध्यान रखना।

(3) इसके अलावा, भारत को निष्कर्ष तट पहुँचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार ही रणनीति का उपयोग, भारत के 620 का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बना पायेगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

5. डेटा संरक्षण कानून में राज्य की निगरानी शक्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को स्पष्ट करना चाहिये। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Data protection law should spell out individual privacy along with state surveillance power. Discuss. (150 words) 10



दाल ही में, सरकार ने डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद वापिस ले लिया है।

यह कानून भारत में अनुच्छेद-21 के तहत निजता के अधिकार को सुरक्षित करने एवं डेटा सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर ध्यान डालने के लिए जारी किया गया था।

परन्तु, इस कानून में राज्य की निगरानी की शक्तियों के मामले एवं व्यक्तिगत पारदर्शिता को लेकर अत्यधिक संवेदनशीलता रखी गई थी। सरकार को निगरानी के अत्यधिक अधिकारों के साथ जवाबदेही भी नहीं थी।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

मतः इन पर स्पष्टता की आवश्यकता

1. सरकार के अनुचित दल-दल से विपक्षी दलों के सदस्यों एवं नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए।
2. निजता के अधिकार, Art-21 के तहत को सुरक्षित करने के लिए।
3. राजनीतिक लोकतंत्र की समाप्ति।
4. व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा व गोपनीयता बनाए रखने के लिए।
5. गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग को कम करने के लिए।

इतः, सरकार को नए डाकूनी विधेयक में स्थायी समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर अधिक स्पष्टता के साथ बिबरन पर सर्वोत्तम उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

6. दल-बदल विरोधी कानून गैर-सैद्धांतिक दल-बदल द्वारा लोकतंत्र के क्षरण के विरुद्ध सुरक्षा के लिये लाया गया था, हालाँकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10
- Anti-defection law was brought to protect against the subversion of democracy by unprincipled defection, however, it has failed to achieve its objective. Critically Examine. (150 words) 10

दल बदल कानून, संविधान की 10वीं

मसूची के तहत 52 वें CA के द्वारा जोड़ा गया था। ताकि गैर-सैद्धांतिक दल-बदल को रोक जा सके।

1993 के संशोधन के माध्यम से, दल-विधरण के प्रावधान को भी हटा दिया गया।

ऐसा देखा गया है कि दल-बदल ने कुछ मामलों में विधायकों/सांसदों के द्वारा पद छिने के कारण, उन्हें ऐसा करने से रोक है। तथा सरकारों की स्थिरता को सुनिश्चित किया है एवं राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता बनाया

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

है

परन्तु इसके क्रिया-व्ययन में कुई कमियाँ

देखी जा रही है

- (i) इसमें वर्तमान में अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं ① नियम लेने की समय-सीमा न होना ② राजनीतिक पक्षधर।
- (ii) दल के विषय जैसे कुछ प्रावधानों ने छोटे स्तर पर राजनेताओं के दल-बदल को संभव बनाया है।
- (iii) दल के निष्ठाजन के बाद विधायिका का सदस्य बने रहा।
- (iv) इस काम के बाद भी कई राज्यों में हाल ही में सरकार बदलने के लिए बुराई तरीकों के प्रयोग ने इनपर लगातार उठाए गए अह: मा. प्र. कर।
- (i) जैलला राष्ट्रपति द्वारा ECI की सलाह पर
- (ii) विषय के प्रावधान की (नमा. प्र. मा. प्र.)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

7.

स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक स्तर और दायरा इसे विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक बनाता है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द) 10

The sheer scale and scope of the Swachh Bharat Abhiyan makes it one of the largest cleanliness drives in the world. In this regard, critically evaluate the success of Swachh Bharat mission. (150 words) 10

✶

स्वच्छ भारत मिशन, वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक था। इसके तहत 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को 'स्वच्छ भारत' के रूप में परिवर्तित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया गया था।

सफलता :-

- (i) जागरूकता अभियानों के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
- (ii) "Open defecation free" status के लिए प्रतीक्षार्थी ने शहरों पर ही नहीं, ग्रामीण स्तर पर लोगों की घरों में निर्मित शौचालयों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया है।

3. इसके तहत, सरकारी सहायता से व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामाजिक शौचालयों का निर्माण किया गया।

असफलता :-

(1) यह लोगों के व्यवहार को पूर्णतः परिवर्तित करने में सफल नहीं हो सका।

सूखे शौचालयों में सफाई का अभाव व्यक्तिगत शौचालयों का उपयोग नहीं।

(2) इसके तहत बने शौचालयों का मरम्मत कार्यों के रूप में उपयोग।

(3) कच्ची वस्तुओं में शौचालयों का अभाव।

(4) शौचालय के साथ पानी की व्यवस्था का अभाव।

अतः आवश्यकता है कि सूखे शौचालयों को समाप्त किया जाये एवं लोगों को शौचालयों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाये।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

8. भारत-नेपाल ने 75 वर्ष पहले आधिकारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से बहुआयामी और गहन संबंध साझा किये हैं। लेकिन इस संबंध में कई अंतर्विरोध भी देखने को मिले हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

India-Nepal has shared multidimensional and dense relations since the beginning of official diplomatic relations 75 years ago. Yet the relationship is marked by several contradictions. Examine. (150 words) 10

भारत के उत्तरी हिमालयी राज्य नेपाल के साथ रिश्ते हमेशा आर्थिक के साथ सांस्कृतिक, लोगों के लोगों के संपर्क, खुली सीमा, गौरवाची ची भारतीय सेना में भर्ती आदि कई आयामों पर आधारित रहे हैं।

संबंध :-

- भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- साथ ही भारत ने नेपाल को विकासोन्मुख सहायता भी समय-2 पर उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, 2015 के भूकंप एवं वैश्वीय महारी के तहत अतिरिक्त मानवीय सहायताएं

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

(10) भारत नेपाल में हमेशा से सड़

प्रभुत्व निवेशक रहा है। हमने यहाँ
जल विद्युत परियोजनाओं में व्यापक निवेश
किया है।

(11) भारतीय सेनाओं में नेपाली नागरिकों
की भरती के साथ-2 भारत समय-समय
पर नेपाल के साथ वैज्ञानिक अभ्यास में
संलग्न रहा है।
परन्तु, वर्तमान में कुछ अंतर्निरीक्ष रहे हैं-

(1) नेपाल की
भारत के संदर्भ
में 'Big brother'
वाली श्रेणी।

(2) चीन का नेपाल में
बढ़ता प्रचार
→ Railway line का
निर्माण।

(3) नेपाल संविधान
के निर्माण में भूयुक्तियों
को पर्याप्त भागीदारी न
दोने से लेकर जिंदा।

(4) विकासोन्मुख
परियोजनाओं में
देरी।

अतः हमने कारण नेपाल के साथ
रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता है एवं
भारत - नेपाल - बांग्लादेश त्रिपक्षीय दस्तावेज का

9. चीन अपने वैश्विक विस्तारवाद के एक भाग के रूप में दक्षिण एशिया में भारत के हितों को कमजोर कर रहा है। इस संदर्भ में चीन के प्रति-आधिपत्य और वृहत् क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक कदम के रूप में सार्क को पुनः सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

China as part of its global expansionism, is chipping away at India's interests in South Asia. In this regard discuss the need to reinvigorate SAARC as a step to counter-hegemonic China and for greater regional stability. (150 words) 10

A चीन अपनी 'String of Pearls' की
नीति, BRI एवं 'debt-trap diplomacy'
के माध्यम से दक्षिण एशिया में
भारत के हितों को प्रभावित कर रहा
है। यथा → (i) Pakistan में CPEC के
निर्माण से सम्भूत को खतरा।

(ii) Sri Lanka में हवनरीटा के अधिकार
से भारत की IOR में समस्त सुरक्षा
प्रदाता की भूमिका ही कम।

(iii) "Two-front war" की संभावना को
भारत नदी का लक्ष्य है।

(iv) हिन्द महासागर में शक्तिशाली को
बढ़ावा, व महाशक्तियों का जमावड़ा,
इस संदर्भ के क्षेत्र के रूप में।

अतः दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने एवं देशों में सामूहिक हितों के भुङ्गे पर वार्ता के लिए SAARC के पुनः गठन की पर्याप्त हो रही है।

निम्न प्रकार से कार्यदेमंड

- (1) देशों को परस्पर हितों के प्रति सेवेदनशील बनाये। एवं संपुष्टा को सुरक्षित कराये।
- (2) यह वार्ता के मंच के रूप में विवादों के समाधान एवं वार्ता के माध्यम से विश्वास बढ़ाये।
- (3) यह TAPI, BBIN etc. को क्रियान्वयन में लाये।
- (4) यह देशों को भारत की "Neighbourhood First" Policy के प्रति दक्षिण काग्रेसकता प्रकट करेगा।

अतः सार्क लामकायत हो सका है, नशर्ति यह लंकीर्ण भुङ्गों से एवं परस्पर विपरीत हितों से संबंधित भुङ्गों से निपटने में सक्षम हो सके।

उम्मीदवार को इस हार्शिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

10. क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का समय आ गया है जो कई छोटे राज्यों के सृजन के साथ भारत के संघीय मानचित्र का पुनर्निर्माण कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
(150 शब्द) 10
Do you think that the time has come for a second States Reorganization Commission (SRC) that can redraw India's federal map, creating many smaller states? Critically Examine.
(150 words) 10

राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन

1953 में किया गया था। जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1956 में 14 राज्यों एवं 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था।
उन से लेकर अब तक कई राज्यों का गठन विभिन्न आधारों पर किया गया है तथा वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है। परंतु फिर भी कई राज्यों में यथा - "Greater Nagaland" की मांग, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वांचल आदि नए राज्यों के उदय की मांग लगातार उठती रहती है तथा कमी-2 के व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शनों के साथ अलगवादा की मांग भी की

उम्मीदवार को इस हार्शिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

बढ़ाता है।

इसी संदर्भ में द्वितीय राष्ट्रपुनर्गठन

आयोग की सिफारिश की जा रही है।

→ यह विभिन्न राज्यों की भांगों का वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर निर्धारण कर सकेगा।

→ विरोध प्रदर्शनों की शक्ति, अलगवादी भावना बढ़ना।

→ सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना।

परन्तु नए राज्यों के गठन से भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा के साथ क्षेत्रवाद एवं अलगवादी भावना के बढ़ने की संभावना है अतः नए राज्यों के गठन से पूर्व एक पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि क्या यह व्यापक हितों की पूर्ति करेगा? तथा राजनीतिक आधारपटनी।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

11.

“सहकारी संस्थाएँ देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन शायद ही कभी नीति नियोजन के केंद्र बिंदु में होती हैं।” इस कथन के आलोक में सहकारी संस्थाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न समस्याओं और सहकारिता क्षेत्र के प्रबंधन के लिये एक नए केंद्रीय मंत्रालय के निर्माण के औचित्य पर चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

“Cooperatives play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning”. In light of this statement discuss the various issues faced by Cooperatives and the rationale for the creation of a new Union Ministry to oversee the cooperatives sector.

(250 words) 15

क्रि.

सहकारी संस्थाओं को 97वें

संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है परन्तु

इनकी भूमिका अभी भी उतनी प्रभावी नहीं है तथा ये कुछ राज्यों यथा - गुजरात, आंध्र प्रदेश में अधिक प्रभावी रही हैं।

इसी संदर्भ में हाल ही में, इनके महत्व को देखते हुए एन डी एन सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। यह मंत्रालय मुख्य रूप से सहकारिता के गठन, विकास, प्रतिनिधियों को विनियमित कर इनके विकास को



उम्मीदवार को
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिए।

(Candidate must
not write on this
margin)

प्रोत्साहित करेंगे।।

अमूल जैसी कुछ सहकारिता

समितियों के अलावा इनकी भूमिका उतनी प्रभावी नहीं रही है इसके कई कारण हैं



पुरानी पध्दती

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अतः ये समस्याएँ इनके कार्य संचालन को प्रभावित करती हैं।

अतः सहकारी मंत्रालय निम्न प्रकार सहायक हैं-

- (1) नीति निर्माण में इनकी आगीदारी सुनिश्चित करना।
- (2) इन्हें बिल के स्रोतों तक पहुँच एवं कुशल मानवशक्ति की प्राप्ति में सहायक।
- (3) यह राजनैतिक दृष्टिकोण को कम करने में सहायक होगा।
- (4) इनके विकास में क्षेत्रीय अलभ्यता के मुद्दों को हल कर सकेगा।

इस प्रकार, आवश्यकता है कि यह निष्पक्ष तरीके से कार्य कर, इनके विकास को बढ़ाये। ताकि अनुच्छेद - 19(1)(c) तथा 43A के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

12.

“पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है” और 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिये सही दिशा में बढ़ाया गया कदम था कि लोगों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जाए। हालाँकि इस अधिनियम के लागू होने के तीन दशक से अधिक समय के बाद भी पंचायत की आवाज में दृढ़ता की कमी है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

“The voice of the Panchayat is the voice of the people” and the 73rd constitutional amendment act was a step in the right direction to ensure that the voices of the people are heard loud and clear. However, even after more than three decades of the enforcement of this act, panchayat's voice lacks strength. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

A

लोकतांत्रिक विडम्बना की प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र को लोगों के निकट लाने के लिए 73वें संविधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायतों की स्थापना की गई थी।

लोगों की आवाज

(i) ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से नीचे निर्माण में 'bottom to top' प्रक्रिया के माध्यम से नीचे की लोगों की भांगों के अंगुरूप बनाया गया।

(ii) ग्राम सभा के माध्यम से Social Audit एवं JSDP की

समीक्षा के माध्यम से लोगों की भागीदारी बढ़ाकर लोगों को जागरूक एवं लक्ष्य बनाया है।

(iii) इसने 33% आरक्षण एवं अन्य जाति आधारित आरक्षणों के माध्यम से चुनावों में सभी को समावेशित है यह महिलाओं एवं वंचित वर्गों के लिए कार्य करने में सक्षम।

(iv) चुनावों के माध्यम से राजनैतिक जागरूकता की वृद्धि।

परंतु वर्तमान में पंचायतें लोगों की आवाज सुन ले नहीं बन पाई हैं इसके कई कारण हैं :

ग्राम सभा की निष्क्रियता → अनुपस्थिति के
जिसे आंकड़ों की कमी एवं क्षमता का अभाव → जागरूकता की कमी।

उम्मीदवार को
हाशिये में नहीं
लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this
margin)

चुनाव प्रक्रिया। निम्न बातों में भी धन-बल के आधार पर चुनाव जीतना।
'सूच्य-पति' के प्रचलन से महिलाओं की कम भागीदारी।

सिचालन के स्तर पर श्रृण्यचार विनीय (सौदों) की स्त्री (डिगल) 4% स्वयं राजत्व।
उशल कार्यबल का अभाव कार्य के स्थानांतरण में राज्यों की इच्छा।

अतः पंचायतों को वास्तव में लोगों की आवाज बनाने के लिए इनको अधिक बिना के साथ, कार्य का स्थानांतरण हो साथ ही गतात्मकता को मजबूत किया जाये।
महात्मा गांधी के पत्रों का आदर्श बनना।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

13.

वर्षों से चुनावों के आयोजन और परिणामों की उनकी निष्पक्षता के लिये सराहना की गई है, हालाँकि चुनावी प्रणाली में कुछ कमियाँ भी सामने आई हैं। इस संबंध में देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While conduct and outcome of elections over the years have been appreciated for fairness, some shortcomings have also emerged in the electoral system. In this regard discuss the need for electoral reforms in the country. (250 words) 15

✍

भारत में लोकतंत्र की सफलता का एक बड़ा कारण चुनावों के आयोजनों एवं परिणामों की निष्पक्षता का माना जाता है तथा इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

परन्तु वर्तमान में हमारी चुनाव प्रणाली **कुई मुद्दों** के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही है।

(i) चुनावों में बढ़ता धन का प्रयोग → प्रति चुनाव लगभग 100 Cr. (प्रति प्रत्याशी)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

(ii) अपराधीकरण का नदना।

↳ ADR की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 29% सांसदों पर गंभीर अपराधों के मामले (17 बी. ए. में)

(iii) उच्च नैतिकता वाले लोगों का राजनीति से भौद भंग।

(iv) आचार लंघन का उन्मूलन → Hate speech, false news, जाति-धर्म के पैतों के बल पर आधार पर vote वोट खरीदना।

(v) कई दलों के द्वारा EVMs पर सबल उठाना।

इस तरह से कई मुद्दों ने चुनाव के निष्पक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न की है एवं राजनीति की मुद्दों, अमीरों एवं परिवारवाद

का अज्ञान बना दिया है। अतः आवश्यकता है निम्न चुनाव सुधारों

की ↳ "Opinion poll" को प्रतिबंधित करना

↳ सांसदों के मामलों में fast track कोर्ट की स्थापना।

↳ दिनेश गौतवामी समिति के अनुरोध राज्य विनियोजन पर विचार

↳ Election bond Scheme के कारण

crony capitalism को नष्ट करना → पारदर्शिता की आवश्यकता।
(74% चंदा → one party को)

↳ EVMs के सुरक्षा के प्रति लोगों की आश्वस्त किया जाना चाहिए।

ये उपायों के माध्यम से चुनावों को सच्चे लोकतंत्र का माध्यम बनाया जा सकेगा।

1. 'Neighbourhood first' नीति का एपनीतिक महत्व व्यापक क्षेत्र में विकास को आकार देने की भारत की क्षमता का एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15
The significance of the neighborhood-first policy will remain a key factor in India's ability to shape developments in the wider region. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

"Neighbourhood first" की नीति

भारत ने अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों, भागीदारियों को बढ़ाकर सामूहिक हितों के मुद्दों पर समन्वय के माध्यम से समग्रता में विकास को बढ़ाना है।

भारत की नेपाल एवं इण्डोनेशिया को भूकंप के समय सहायता, मालदीव जबलंकर के समय तब्यरत से सहायता, हाल ही श्रीलंका को विनीय संकर के समय सहायता, सार्ड सेटलाइड

'पीजेवर मौसम' आदि के माध्यम से भारत द्वारा अपने पड़ोसियों से

अव्यधि महत्त्व दिया गया है

इसका महत्त्व :-

- (i) यह चीन के बढ़ते उभाव को प्रतिबंधित करने में सहायक हो सकेगा।
- (ii) यह देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होगा यथा - सार्ड FTA, India-Bangladesh-Nepal bilateral highway, बालादान मॉडल आदि के माध्यम से।
- (iii) आपदा एवं अन्य विपत्तियों में सहायता एवं सहायता।
- (iv) पर्यटन के विकास एवं people to people contact के माध्यम से विश्वज बढ़ाती।
- (v) ये देश भारत की UNSC में

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

शुद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण है

अतः पड़ोसियों की श्रमिका को
देशों के दूर भारत को नेपाल (संविधान),
बांग्लादेश (नदी जल बँटव्य) माफि ले संबन्धित विषयों पर शीघ्र
जल के लिए प्रयास करना चाहिए।
साथ ही SAARS के साथ-साथ
विमसरेड को बढावा दिया जाना
चाहिये।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

15.

भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिये और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये।
(250 शब्द) 15
Discuss the constitutional position and explain the process of election of the President of India.
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

*

राष्ट्रपति को भारत में कार्यकारी
पुसुरव के रूप में अनुच्छेद-52
के तहत मान्यता दी गई है। तथा
केन्द्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति
की मजुमति से ही किये जाते हैं
(नाम लें)

परन्तु अनु-74 के तहत (संसदीय
सरकार के कारण) एक मंत्रिमण्डल की
सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य
करने को अनिवार्य बनाया गया है

अतः भारतीय संविधान में राष्ट्रपति
की स्थिति, एक कार्यपालित पुसुरव के
रूप में है परन्तु शक्तियों का

वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री की
अध्यक्षता वाली मंत्रिमण्डल करती
है

निर्वाचन की प्रक्रिया

राज्य निर्वाचक मंडल द्वारा राज्य
संक्रमणीय मत
उगाली के आधार
पर।

{ यह विधानसभाओं
के निर्वाचित सदस्यों
+ संसद के निर्वाचित
सदस्यों से
पिठकर बनता है }

इसमें राज्यों के विधायकों एवं
संसद के सदस्यों का मूल्य त्रिगुण -
2 होता है तथा राज्यों के मूल्य

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

समानता स्थापित की जाती है

• निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों के
द्वारा उम्मीदवारों को वरीयता के

आधार पर वोट दिया जाता है

✓ जो उम्मीदवार 50% से अधिक मत
preferences के वोट प्राप्त कर लेता
है वह विजयी घोषित किया जाता
है

यह प्रक्रिया इस आधार पर आलोचना
की जाती है कि राज्य व्यक्ति के निर्वाचन
की प्रक्रिया में इससे अधिक समय बचाने
की धारणा होती है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

16. सीमा पार जल विवाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हमेशा से विवाद का एक विषय रहा है। भारत में सीमा पार नदी प्रबंधन से संबद्ध मुद्दों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Transboundary water disputes have always been a bone of contention between India and its neighboring countries. Discuss the issues associated with Transboundary River management in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

Ans.

भारत अपने पड़ोसियों के साथ सैकड़ों नदियों का जल साझा करता है। इनमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भारत एवं पड़ोसियों के साथ नदी जल को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं।
यथा - पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते पर विवाद।

↓
जुलबुल किशनगंगा
आदि पर पाकिस्तान
द्वारा आपत्ति।

→ चीन के द्वारा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के जल का स्थानांतरण एवं बांध बनाने पर विवाद।

→ बांग्लादेश के साथ गिन्टा नदी के जल बंटवारे को लेकर

विना २।

उपर्युक्त विवादों से देखते हुए नदी प्रबंधन में कई मुद्दे देखे जाते हैं।

(i) नदी जल पर वस्तुनिष्ठ मांकडों का अभाव एवं साझा करने के लिए व्यवस्थित ढंग का अभाव।

(ii) भारत-पाक एवं चीन के मध्य सीमा विवादों ने नदी प्रबंधन के मुद्दों पर विशाल बहाली का अभाव।

(iii) नदियों के युवावस्था में मार्ग परिवर्तन के कारण सीमाओं में परिवर्तन।

(iv) गर्मियों के समय ताढ़ की वारंवरत एवं सर्दियों के समय, पानी की कमी की समस्या भी हिमालयी देशों के बीच विवाद का कारण।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

अतः बेहतर जल प्रबंधन
लगाना सभी देशों के हित में
है तथा इसके माध्यम से हाल ही
में आई असम बाढ़ एवं पाकिस्तान
की बाढ़ जैसी भीषण परिस्थितियों का
बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। यह
क्षेत्र के विकास में सहायक होगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

17. संघर्षी संघवाद उस संविधान के लिये अभिशाप है जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सहकारिता की इच्छा रखता है। चर्चा कीजिये।
(250 शब्द) 15
Combative federalism is anathema to the Constitution which prescribes cooperation and collaboration between the Centre and the States. Discuss.
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

A

संघर्षी संघवाद, उस व्यवस्था को
संदर्भित करता है जिसमें संघीय स्तर
केन्द्र के मध्य विभिन्न मुद्दों पर
विवाद हो तथा यह लोगों के व्यापक
हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित
करता है। व्यौक्ति :-

- (i) यह समग्रता में निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है।
- (ii) सहयोग की भावना को कम करता है।
- (iii) इससे राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल/

इस प्रकार के कई मुद्दे वर्तमान में
संघर्षी संघवाद को बढ़ा रहे हैं।

जैसे :- (i) राज्यपाल का चयन /

(ii) दल-बदल कानूनों का दुस्प्रयोग

(iii) NEET का मुद्दा (iv) जश

आदि ने राज्यों को केन्द्रीय शासन के प्रति पूर्णतः बना दिया है यह मुद्दा ऐसी राज्यों में अधिक है जहाँ विपक्षी दल की सरकार है।

यह हमारे संविधान के तहत

केन्द्र-राज्य संबंधों वाले अध्याप में निहित सहयोग एवं सहकारिता

की भावना के विरुद्ध है। इसे

लिख आवश्यक है कि -

(i) केन्द्र द्वारा राज्यों की चिंताओं पर ध्यान देकर निर्णय लेना।

(ii) संघवाद के मुद्दों के लिए

अन्तराष्ट्रीय परिषद का गठन /

(iii) सहकारिता एवं पूँछी भाषण की अनुशासकों के अनुसार संबंधों का पुनर्घन /

अतः सहकारी संघवाद ही सरकार को देखते हुए शीघ्रतापूर्वक राज्यों के मुद्दों का समाधान दिया जाना चाहिये।

18. देश में कारागार प्रशासन के समक्ष विद्यमान संकटकारी मुद्दों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15
There is a need to reflect upon the issues plaguing the prison administration in the country. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

* कारागार प्रशासन से तात्पर्य हमारे जेलों के प्रबंधन से है। कारागार प्रशासन से संबंधित मुद्दे हमारे देश में सर्वाधिक नजरअंदाज किए जाने वाले रहे हैं तथा सरकार द्वारा इनके विकास के लिए शायद ही प्रयास देखने को मिलते हैं। इसका एक बड़ा कारण कारागार में नंद गीतों की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी न होना है। अतः कई मुद्दे उभरे हैं →

(i) अति-जनसंख्या → वर्तमान में भारत में जेलों में अत्यधिक कैदियों को जमाला रखा है → (क्षमता → 4.18 Lakhs
कैदी → 4.87 Lakhs)

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

(ii) लम्बित डेटियों का उच्च प्रतिशत (लगभग - 67%) एवं इनका अपराधियों से विभाजन की समुचित व्यवस्था न होना।

(iii) डिफरेंसियल का अभाव / कैदियों का अभाव (50% राशी)

(iv) सुविधाओं का अभाव।

(v) जेलों में अपराधों की संख्या का बढ़ना (प्रतिवर्ष 100 हजारों)

(vi) महिला कैदियों एवं उनके बच्चों के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव।

इस प्रकार जेलों के लिए आवश्यक है कि रिक्तियों को भरवाये एवं

सरकार को समुचित नीति का निर्माण कर, बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था के साथ डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाये।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

19.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संगठनात्मक ढाँचे की व्याख्या कीजिये और चर्चा करिये कि SCO की सदस्यता भारत के लिये कैसे प्रासंगिक है?
(250 शब्द) 15
Explain the organizational structure of Shanghai Cooperation Organization (SCO) and discuss how SCO's membership is relevant to India?
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)


A

SCO, एशिया एवं यूरोप के देशों का एक व्यावसायिक, सामाजिक हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन है। इसमें भारत सहित रूस, चीन, पाकिस्तान एवं मध्य एशिया के देश शामिल हैं।

SCO का मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन जो वार्षिक आधार पर आयोजित होता है, वह प्रमुख विषय - विषयों को लेकर

धै

इसने एक आतंकवाद से निपटने के लिए RATS नामक संरचना का निर्माण किया है।



उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

अतः भारत को चीन एवं पाकिस्तान की भागीदारी को संतुलित करने के लिए मध्य एशियाई देशों एवं क्षेत्र के साथ अपने संबंधों का

उपयोग करना चाहिए तथा SCO का उपयोग चीन के अनियंत्रित उत्तर व हिंदों के संदर्भ में किया जा सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

20. न्यायपालिका पर वादों/मामलों के भार को कम करने के लिये ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, लेकिन इसने न्याय प्रणाली में कई चुनौतियों को जन्म दिया है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Tribunals are established to reduce the case load of the judiciary but it has given rise to multiple challenges in justice system. Critically discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Ans.

वर्तमान में न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या लगभग 4.7 करोड़ हो गयी है। जिससे यह देरना जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत न्यायाधिकारों के विमर्श के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके साथ इसने कई अन्य समस्याओं को भी जन्म दिया है।

राजनीतिक दफतरीय नियुक्तियों में	विलंबता avg. 3.8 yrs.	सिक्तियां लगभग 50%.
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विशेषज्ञ की कमी
इस क्षेत्रों में गठन नहीं।

महिकर मामलों में HC/SC में अपील।

प्रक्रिया में औपचारिकता का समावेश।
प्राथमिक न्याय के लक्ष्य का पीछे छोड़ना।

परंतु, कुछ मामलों में tribunals की अधिक महत्वपूर्ण रही हैं।
कारण: इनमें सुधार के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)